फर्द अहकाम

लादूराम बनाम गोपाल वगै०

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या :– 56/2024/T.I

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.09.2024	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री मुकेश चौधरी ने पेश किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे एक शपथ पत्र पेश किया। रिपोर्ट कार्यालय ली गई। वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी को सुनने मामला प्रथम दृष्टया अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का होना पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 30 के ख0न0 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 कुल किता 13 कुल रकबा 5.3236 है0 भूमि वाके ग्राम मोरडी तहसील फागी व खाता सं0 258 के ख0न0 497/1 रकबा 3.5406 है0 भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू	
	28/10/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	30/12/24	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहिब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/3/25 को पेश हैं।	
	10/3/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व प्रार्थी के ~~प्रार्थना प.~~ अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपने मूल वाद को खारिज करा लिया है इसलिए प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए इस प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे उपखण्ड अधिकारी फागी.	लादूराम Identify [illegible]